फा. सं.27012/8/2015-एलआरडी

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
(भूमि सुधार प्रभाग)

"जी" विंग, एन.बी.ओ. बिल्डिंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011
दिनांक : 07 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

प्रधान सचिव- प्रभारी रजिस्ट्रेशन विभाग, सभी राज्य/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

विषय: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 32-क में उल्लिखित सूचना प्राप्त करने के वैध तरीके के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रस्तावित सहमति आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवाओं की स्वीकृति।

महोदय,

सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में 04 नवम्बर, 2015 और 17 नवम्बर, 2015 को आयोजित बैठकों के संदर्भ में, भूमि संसाधन विभाग, सभी सहभागियों का बैठक में उपस्थित होने और रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के तहत पहचान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सहमति – आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवाओं के उपयोग के संबंध में बहुमूल्य जानकारियां देने के लिए धन्यवाद करता है।

जैसा कि विचार-विमर्श और चल रहे प्रायोगिक कार्यक्रमों से पता चलता है, इन सेवाओं को अपनाने से पांच प्रकार के लाभ हैं : (क) देश में अब तक 93 करोड़ से अधिक 'आधार' नम्बर सृजित किए गए हैं और यह निष्पादकों के लिए उपलब्ध पहचान के सत्यापन का सबसे आसान तरीका है; (ख) सहमति आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवाएं, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 32-क के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने का एक सस्ता और पूर्ण रूपेण - लेखापरीक्षा योग्य तरीका है; (ग) इससे संभावित रूप से रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति को ऐसी हार्डकॉपी पर अपनी अंगुली की छाप देने के लिए स्याही में अंगुलियों को डुबाने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है तथा जिसे सत्यापित करना और भी कठिन है; (घ) सहमति आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन में सरकार रजिस्ट्री कराने वाले की पहचान के लिए स्वयं गवाह का कार्य करती है जिससे अतिरिक्त गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है; (ड.) भविष्य में इस सेवा का उपयोग करने से दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की शुरूआत की जा सकती है जिन्हें डिजिटल लॉकरों में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है।

इस संदर्भ में, राज्य सरकारें, राज्यों में पंजीयन महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 32-क के तहत अंगुलियों की छाप और फोटो लेते समय यूआईडीएआई की सहमति आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवाओं को शामिल करने के लिए उनके द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अपनाई गई पद्धति में संशोधन करने के विकल्प की जांच कर सकते हैं। इस संबंध में मॉडल प्रारूप नियमों की एक प्रति इसके साथ संलग्न है जिसे यथाअपेक्षित ऐसे संशोधन के साथ विचार करके अपनाया जा सकता है और समय-समय पर यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग में अपनाया जा सकता है।

संलग्न: यथोक्त

(एच.एस. मीना)
संयुक्त सचिव
दूरभाष: 011-23062351

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित –

(1) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पंजीयन महानिरीक्षक

(2) महानिदेशक, एनआईसी, ए ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड. नई दिल्ली 110003

(3) महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), जीवन भारती बिल्डिंग, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

पंजीयन महानिरीक्षक का कार्यालय_____राज्य

संख्या / /2015

दिनांक दिसंबर, 2015

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 32-क के साथ पठित धारा 69 की उप-धारा (1) के खंड (ञ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजीयन महा निरीक्षक_____ राज्य, राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 69 के खंड (2) के तहत अपेक्षित है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः ;-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का नाम पंजीयन (दस्तावेजों के पंजीकरण में पहचान का सत्यापन) नियमावली, 2015 है।

   (2). ये नियम पंजीयन महा निरीक्षक द्वारा यथाअधिसूचित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू होंगे। विभिन्न सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के लिए विभिन्न तिथियां नियत की जा जा सकती हैं।

2. **परिभाषाएं-** (1) "अधिनियम" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अभिप्रेत है;

   (2) 'आधार नंबर' से 12 अंकों का वह विशिष्ट पहचान नम्बर अभिप्रेत है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा किसी व्यक्ति को उससे संबंधित जनसांख्यिकी और बायोमेट्रीक सूचना के डी-डुप्लीकेशन के पश्चात् सृजित किया गया है और जारी किया गया है।

   (3). "सहमति –आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवा" से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति के अनुरोध अथवा उसकी सहमति से बायोमेट्रिक सूचना का यूआईडीएआई द्वारा अपने केन्द्रीय सर्वर में रखी गई सूचना के साथ मिलान के पश्चात किया गया इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और इसमें 'हां/ना' प्रत्युत्तर, अथवा वह प्रत्युत्तर शामिल है जिसमें उस व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना और फोटो हो।

   (4) **"यूआईडीएआई"** से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है।

3. **सहमित-आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवा की वैधता-** इन नियमों के अनुसार, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु उपयुक्त पंजीयन कार्यालय में कागजात प्रस्तुत करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 32 –क के तहत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमति -आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवा का उपयोग कर सकता है।

4. **प्रक्रिया-** जहां सहमति -आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवा के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी;-

   (क) सहमति -आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवा का प्रयोग करने के लिए ऐसे व्यक्ति की स्पष्ट सहमति प्राप्त की जाएगी;

   (ख) सहमति प्रदान करने पर, उस व्यक्ति की अंगुलियों की छाप को स्कैन सहित 12 अंकों का आधार नंबर यूआईडी प्रणाली में प्रविष्ट किया जाएगा।

(ग) अधिप्रमाणन पर, यूआईडीएआई प्रणाली स्वत: प्रयोक्ता का सहमति -आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन डाटा देगी;

(घ) सहमति -आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवा के माध्यम से तैयार की गई सूचना की वास्तविक प्रति और उस अधिप्रमाणन का विशिष्ट संव्यवहार कोड पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेज पर चस्पा किया जाएगा और उसे उपयुक्त इलेक्ट्रानिक रूप में भी रखा जाएगा।

5. **अचल संपत्ति से स्वामित्व के हस्तांतरण संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण के मामले में प्रक्रिया-** जब रजिस्ट्री करवाए जाने वाला दस्तावेज अचल संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित हो, तो दस्तावेज में उल्लिखित प्रत्येक निष्पादक एवं गवाह के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

6. **निष्पादक की पहचान की अपेक्षा की पूर्ति-** समय-समय पर यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), के अध्याय - II डिजिटल हस्ताक्षर एवं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की धारा 4 और 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 32-क के अनुसार, सहमति आधारित 'आधार' अधिप्रमाणन सेवा के जरिए सृजित सूचना को उक्त धारा के तहत धारा (34) की उप-धारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 32-क के प्रयोजन को निष्पादक की पहचान संबंधी अपेक्षा को उद्देश्य पूरा करना माना जाएगा।

7. यदि निष्पादकों की अंगुलियों की छाप मेल नहीं खाती हैं, तो आंख की पुतली (आइरिस) के साथ मेल किया जाना चाहिए।

(नाम)

पंजीयन महा निरीक्षक, _____राज्य

संख्या / / दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि प्रेषितः (1) प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, _____ सरकार,

(2) हिंदी और अंग्रेजी एवं (स्थानीय भाषा) में प्रति, राजकीय मुद्रणालय_____

(3) गार्ड फाइल,_____

(4) विधायी विभाग, _____सरकार, _____ सचिवालय

(नाम)

पंजीयन महानिरीक्षक_____राज्य